8/16 आवेदक पत्रावली के साथ कोई कार्यवाही में मूल वाद के सम्बन्ध हुई प्रतियों का मूल वाद लंबित होने तक ही, अतः इस प्रार्थना पत्र का आदेश करने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रद्दी किया जाता है पत्रावली समस्त कागजात वाद रजिस्टर दफ्तर में वापसी हेतु के लिये वापस उपस्थापित।

रमेश देवी

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner